

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 20 फरवरी, 2018

विषय:-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार व अविवादित विरासत दर्ज कराये जाने जाने के संबंध में विशेष अभियान।

महोदय,

राजस्व संहिता अधिनियम-2006 की धारा-31 के अनुसार कलेक्टर का यह अधिकार है कि वह राजस्व संहिता नियमावली में विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के अधिकार अभिलेख (खतौनी) रखेगा। कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, राजस्व -निरीक्षक अधिकार अभिलेख (खतौनी), खसरा व मानचित्र के समस्त परिवर्तन जो घटित होंगे और ऐसे अन्य समस्त समव्यवहारों को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेंगे।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि उपरोक्त कार्यवाहियां जनपद स्तर पर नियमित रूप से नहीं की जा रही हैं। इस संबंध में परिषदादेश संख्या-4629/4-1ए-17(वरासत) दिनांक 14.08.2017 द्वारा वरासत दर्ज करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त, पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन के अंतर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाले पट्टे भी राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर भी दिये जाते रहे हैं। राजस्व संहिता की धारा-76(3) में असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से 05 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार वाला भूमिधर हो जाने का प्राविधान है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि खतौनी में दर्ज खातेदारों की मृत्यु/ ऐसी स्त्री जिसने उत्तराधिकार में भूमि प्राप्त की है,के विवाहित/पुनर्विवाहित होने की दशा में उनके निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम समय से खतौनी में अंकित किये जायें। साथ ही साथ जिन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों का पट्टा प्राप्त किये हुए 05 वर्ष या इससे अधिक के समय की अवधि हो गई है, उन्हें आवश्यक जांच करने के पश्चात अधिकार अभिलेख (खतौनी) में संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर दर्ज किया जाये। इस संबंध में 01.03.2018 से 30.04.2018 तक एक अभियान चलाया जाये जिसमें निर्विवाद उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले तथा असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर का अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम अधिकार अभिलेख (खतौनी) में दर्ज कराये जायें।

4- उपर्युक्त अभियान में वरासत एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने से संबंधित कृत कार्यवाही की पाक्षिक सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in पर निर्धारित संलग्न प्रारूपों-1 एवं 2 पर अपलोड करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- अभियान की समाप्ति पर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने का कोई भी प्रकरण दर्ज करने हेतु अवशेष नहीं है।

6- अभियान के अन्त में दिनांक 01.05.2018 से 15.05.2018 तक जनपद की प्रत्येक तहसील के राजस्व ग्रामों के 02 प्रतिशत जिलाधिकारी, 05 प्रतिशत अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी, 10 प्रतिशत उपजिलाधिकारी, तथा 20-20 प्रतिशत तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा इन तथ्यों की जांच कराई जायेगी कि कोई भी प्रकरण दर्ज करने हेतु अवशेष नहीं है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी ग्राम में संबंधित लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा अविवादित वरासत एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज किये जाने का कोई मामला बिना समुचित कारण के दर्ज नहीं किया गया है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाये। इस सम्बंध में शासन के नामित नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उक्त दोनों बिन्दुओं पर भी निरीक्षण किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा पृथक से भी टीम बनाकर निरीक्षण किया जाएगा। यदि निरीक्षण में अविवादित विरासत एवं असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होना नहीं पाया गया तो सम्बंधित लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से समीक्षा करने का कष्ट करे।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समीक्षा कर कार्यवाही सुनिश्चित करे।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुधीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारूप-1 (निर्विवादित वरासत)

क्र०सं०	जनपद	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या (जिनमें भ्रमण/सत्यापन कार्य सम्पन्न हुए)	लेखपाल द्वारा सत्यापन में मृतक/विवाहित/पुनर्विवाहित (स्त्री) पाये गये खातेदारों की संख्या	राजस्व निरीक्षक द्वारा जाचोंपरान्त निस्तारित अविवादित विरासत के प्रकरण			विवादित प्रकरण		राजस्व निरीक्षक द्वारा निर्णय/ संदर्भ हेतु अवशेष (कालम 5 के सापेक्ष)
					दर्ज वादों की संख्या	जारी आदेशों की संख्या	खतौनी में दर्ज विरासतों की संख्या	संदर्भित प्रकरण	दर्ज वादों की संख्या	

प्रारूप-2 (असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर)

जनपद	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	निरीक्षित किये गये ग्रामों की संख्या	असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधरों की संख्या	लेखपाल द्वारा जांच किये गये प्रकरणों की संख्या	राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच कर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करने हेतु आदेशित भूमिधरों की संख्या	खतौनी में दर्ज किये गये संक्रमणीय भूमिधरों की संख्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।